न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :277/2021

वादीगण–

1. बाबूलाल पुत्र सीताराम
2. शैतानराम पुत्र सीताराम
3. सहदेव पुत्र सीताराम

जातियान–मेघवाल निवासीगण–अड़वड़, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सीताराम पुत्र घीसाराम
2. रामकिशोर पुत्र सीताराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम
4. रामनिवास पुत्र सीताराम
5. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम
6. संतोष पुत्री सीताराम

जातियान–मेघवाल निवासीगण–अड़वड़, तहसील–जायल।

7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 28/12/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा अड़वड़ तहसील जायल में खेत खसरा नं. 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1107/190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर, खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर, खसरा नंबर 451/853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 में वाद के पैरा संख्या 2 के (क से ज) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 बाबुलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 1107/190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। वादी संख्या 2 शैतानराम के

28/12/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में रखा गया है। वादी संख्या 3 सहदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451/853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 4 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने दिनांक 03.12.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत अड़वड़ में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 7 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सीताराम पुत्र घासीराम, बाबुलाल पुत्र सीताराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम अड़वड़ तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 478 प्रदर्श-1, खाता संख्या 479 प्रदर्श-2, ग्राम अड़वड़ तहसील जायल सम्वत 2073-2076 खाता संख्या 580 प्रदर्श-3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.12.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा अड़वड़ के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 1107 / 190 सम्पूर्ण की खातेदारी वादी बाबुलाल तथा खसरा नंबर 451 / 853 सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 6 के संयुक्त हक बंट में तथा खसरा नंबर 365 की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट में तथा खसरा नंबर 450 सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के हक बंट में तथा खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर की 1 / 2–1 / 2 माफिक नजरीनक्शानुसार वादी संख्या 2 एवं 3 शैतानराम एवं सहदेव के हक बंट में तथा खसरा नंबर 451 की भूमि की खातेदारी 1 / 2–1 / 2 नजरीनक्शानुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जगदीश प्रसाद व रामनिवास के हक बंट में वाद पत्र पैरा संख्या 2 एवं इस्तदुआ एवं राजीनामा अनुसार चाही गई है। अतः मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1107 / 190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर, खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर, खसरा नंबर 451 / 853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र घासीराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1107/190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर, खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर, खसरा नंबर 451/853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र घासीराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बाबुलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 1107/190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर उतरी दिशा में रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 सहदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 6 सीताराम एवं संतोष के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451/853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर उतरी दिशा में रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 4 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 277 / 2021
जीसीएमएस नंबर–2021 /
बाबूलाल बनाम् सीताराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :277 / 2021

वादीगण–

1. बाबूलाल पुत्र सीताराम
2. शैतानराम पुत्र सीताराम
3. सहदेव पुत्र सीताराम, **जातियान–मेघवाल निवासीगण–अड़वड़, तहसील–जायल।**

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सीताराम पुत्र घीसाराम
2. रामकिशोर पुत्र सीताराम
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सीताराम
4. रामनिवास पुत्र सीताराम
5. ओमप्रकाश पुत्र सीताराम
6. संतोष पुत्री सीताराम, **जातियान–मेघवाल निवासीगण–अड़वड़, तहसील–जायल।**
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1107 / 190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर, खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर, खसरा नंबर 451 / 853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र घासीराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बाबुलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 1107 / 190 रकबा 0.8255 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1 / 2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर उतरी दिशा में रखा गया है।

28/12/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी संख्या 3 सहदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 356 रकबा 1.8373 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.91865 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 6 सीताराम एवं संतोष के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451/853 रकबा 1.9101 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 365 रकबा 1.0441 हैक्टेयर अर्थात पूरा खेत रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर उतरी दिशा में रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 4 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 451 रकबा 2.0720 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.0360 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 5 ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़वड़ का खेत खसरा नंबर 450 रकबा 1.3436 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत् इजराज हुक्मनामा			बावत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner